

24.11.2025:-पत्रवाली आज पेशी मे ली गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पाया की उभयपक्ष अधिवक्ता द्वारा वाद पत्र मे कोई आवश्यक कार्यवाही नही की जा रही है। उभयपक्ष को लगातार नोट करवाया जा रहा है। उभयपक्ष अधिवक्ता व उभयपक्ष को बार-बार आवाज लगाई गई। आवाज लगाने के उपरान्त भी असालतन/वकालतन उपस्थित नही आये। उभयपक्ष अधिवक्ता व उभयपक्ष के उपस्थित नही आने के कारण वादपत्र अदम पैरवी/अदम हाजरी मे खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

01/2/25
सहायक कलक्टर
एव-उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़